न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 507/2018 निर्णय दिनांक :–09.10.2020

उनवानी प्रार्थना पत्र :

लाला पुत्र रामचन्द्र जाति कीर आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

– प्रार्थी –

बनाम

1. सोराज पुत्र रामचन्द्र जाति कीर आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
2. भूरी बेवा रामचन्द्र जाति कीर आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
3. गोकल पुत्र रामचन्द्र जाति कीर आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
4. स्टेट बैंक औफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नासिरदा परिवर्तित बैंक नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
5. तहसीलदार जी लैण्ड होल्डर देवली जिला टोंक राजस्थान

– अप्रार्थीगण–

–उपस्थिति –

श्री बंशी लाल कलवार
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात ख0नं0 320 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह, ख0नं0 321 रकबा 0.42 है0 किस्म चाही 2, ख0नं0 322 रकबा 1.13 है0 किस्म बारानी 1, ख0नं0 375 रकबा 0.59 है0 किस्म बारानी 2, कुल किता 4 कुल रकबा 2.15 है0 भूमि वाके ग्राम हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसमें प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिपक्षी संख्या 2 ता 3 का संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा अंकित है। उक्त आराजीयात भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है। प्रतिपक्षी संख्या 2 का उक्त आराजीयात भूमि में 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिपक्षी संख्या 3 का भी उक्त आराजीयात भूमि में 1/4 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 शराबी प्रवृति का व्यक्ति है तथा हमेशा ही शराब के नशे में मदहोश रहता है उक्त आराजियात भूमि को बिना विधिवत बंटवारे ही रोड़ पर स्थित भूमि को पंजीयन करवाने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार

नहीं है। यदि प्रतिपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिपक्षी सख्या 1 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि को बिना विधिवत बंटवारे के रोड़ की तरफ स्थित अच्छी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, दान, वसीयत इत्यादि से हस्तान्तरण कर पंजीयन करवा देगा, जिससे प्रार्थी व्यर्थ के मुकदमें बाजी में उलझ जायेगा औरा बर्बाद हो जायेगा। इसलिये प्रतिपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थी की खातेदारी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात भूमि ख0नं0 320 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह, ख0नं0 321 रकबा 0.42 है0 किस्म चाही 2, ख0नं0 322 रकबा 1.13 है0 किस्म बारानी 1, ख0नं0 375 रकबा 0.59 है0 किस्म बारानी 2, कुल किता 4 कुल रकबा 2.15 है0 भूमि वाके ग्राम हिसामपुर तहसील देवली में से 1/4 हिस्से की भूमि का बिना विधिवत बंटवारे के किसी अन्य व्यक्ति को रहन, दान, वसीयत इत्यादि से हस्तान्तरित नहीं करे तथा पंजीयन नहीं करावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी से बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजे जमाबन्दी संम्वत 2070–76 ख0नं0 320 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह, ख0नं0 321 रकबा 0.42 है0 किस्म चाही 2, ख0नं0 322 रकबा 1.13 है0 किस्म बारानी 1, ख0नं0 375 रकबा 0.59 है0 किस्म बारानी 2, कुल किता 4 कुल रकबा 2.15 है वाके ग्राम हिसामपुर तहसील देवली में प्रार्थी 1/4 हिस्से के सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने के कारण अप्राथीगण संख्या 1 को पाबन्द करवाने के हकदार है। अतः अप्रार्थीगण 1 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है कि वह खातेदारी भूमि ख0नं0 320 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह, ख0नं0 321 रकबा 0.42 है0 किस्म चाही 2, ख0नं0 322 रकबा 1.13 है0 किस्म बारानी 1, ख0नं0 375 रकबा 0.59 है0 किस्म बारानी 2, कुल किता 4 कुल रकबा 2.15 है वाके ग्राम हिसामपुर तहसील देवली में अपने हिस्से की भूमि को बिना विधिवत विभाजन रहन, दान, बेचान, वसीयत नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली